| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

30-04-26

पत्रावली पेश हुई

वादी वकील अधिवक्ता उपस्थित ।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं,जिस पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावो का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम काठाडी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 251 रकबा 1.5467 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

| क्र. सं. | खातेदार का नाम व पता | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्टेयर में) | बरंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जोराराम पुत्र चौथाराम जाति भील सा.देवन्दी खातेदार | 251 | 0.7734 | हरा |
| | योग | 1 | 0.7734 | हरा |
| 2 | भारताराम पुत्र जैरूपजी जाति भील सा.देह खातेदार | 251 | 0.7733 | केसरिया |
| | योग | 1 | 0.7733 | केसरिया |

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

# डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code Appendix 'D'-1 )

अज अदालत सहायक कलक्टर ( S.D.O. ) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादीः–

भारताराम पुत्र जैरूप जाति भील निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**बनाम**

**प्रतिवादीगणः–**

1. जोराराम पुत्र चौथाराम जाति भील निवासी देवन्दी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

**वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**मुकदमा नंबर** :–123 / 2024 **निर्णय दिनांक** :– 30.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नेहपालसिंह मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम काठाडी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 251 रकबा 1.5467 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है।

| क्र. सं. | खातेदार का नाम व पता | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्टेयर में) | बरंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जोराराम पुत्र चौथाराम जाति भील सा.देवन्दी खातेदार | 251 | 0.7734 | हरा |
| | योग | 1 | 0.7734 | हरा |
| 2 | भारताराम पुत्र जैरूपजी जाति भील सा.देह खातेदार | 251 | 0.7733 | केसरिया |
| | योग | 1 | 0.7733 | केसरिया |

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.04.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

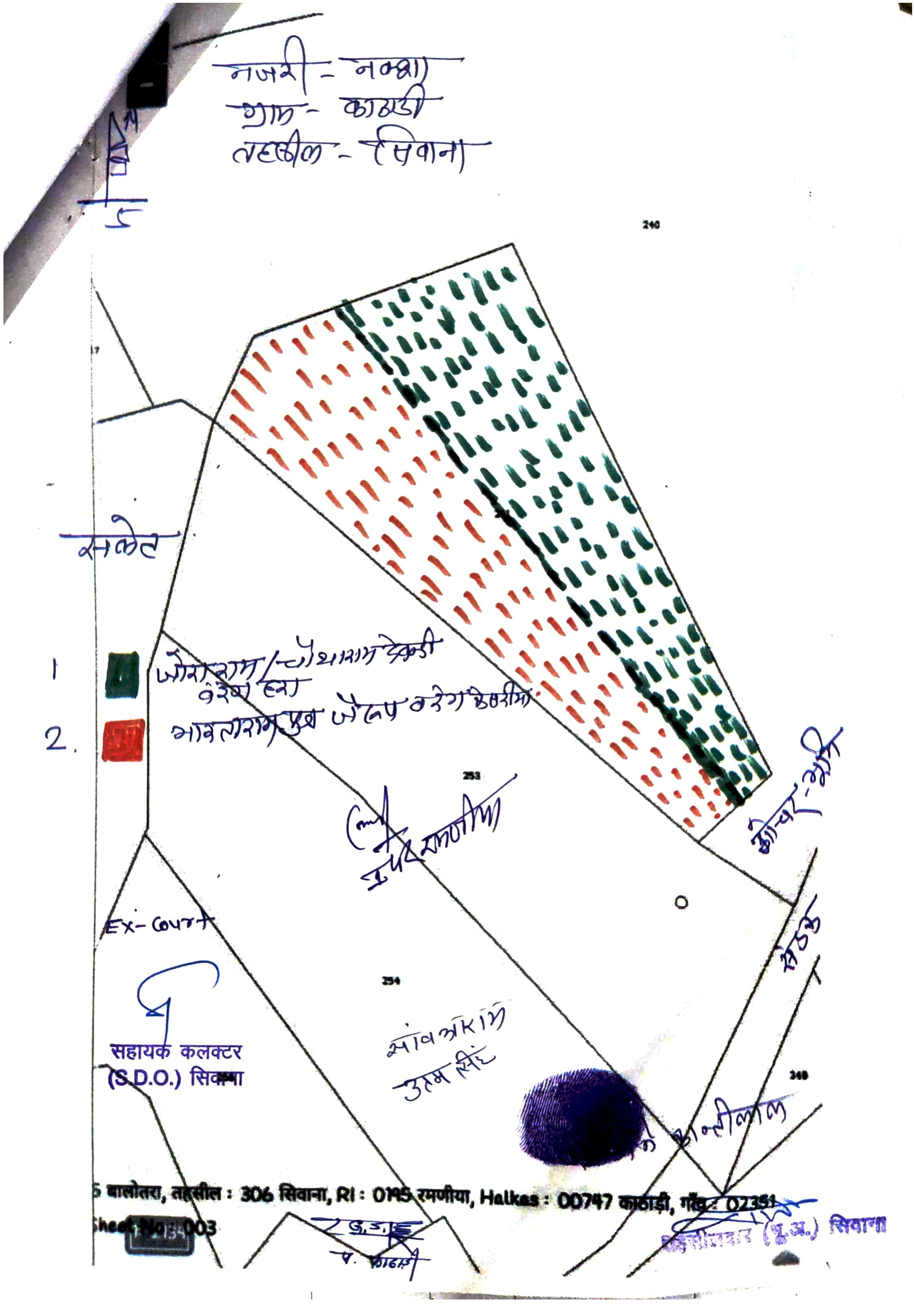
नजरी - नक्शा
ग्राम - काठाड़ी
तहसील - सिवाना
240
संकेत
1
2.
253
254
348
Ex-Court
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना
5 बालोतरा, तहसील : 306 सिवाना, RI : 0195 रमणीया, Halkas : 00747 काठाड़ी, गाँव : 02351
Sheet No : 003
तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना